भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 787
बुधवार, 04 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित स्टार्ट-अप

787. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों के विकास आदि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में पंजीकृत अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित स्टार्ट-अप की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि तक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्ट-अप द्वारा प्रक्षेपित किए गए सफल उपग्रहों, पेलोड या अन्य अंतरिक्ष यानों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार की अधिक सुव्यवस्थित प्रवेश और परिचालन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए अंतरिक्ष स्टार्ट-अप के लिए लाइसेंसिंग, विनियामक अनुमोदन और अन्य अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की भारतीय अंतरिक्ष स्टार्ट-अप को उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष डेटा सेवाओं या जमीनी बुनियादी ढांचे के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में मदद करने के लिए कोई नीतियां हैं और क्या अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी स्टार्ट-अप की सहायतार्थ अन्य देशों के साथ कोई सहयोगात्मक समझौते किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

****

(क) इन-स्पेस में स्टार्ट-अप के लिए पंजीकरण प्रक्रिया नहीं है क्योंकि यह डीपीआईआईटी की भूमिका को दोहराना होगा। हालांकि, स्टार्ट-अप्स इंडिया पोर्टल के अनुसार, डीपीआईआईटी में 399 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप (उपग्रह, प्रक्षेपण यान विकास आदि सहित) पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन-स्पेस स्टार्ट-अप का राज्य-वार डेटा नहीं रखता है।

(ख) अब तक, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्ट-अप द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की कुल संख्या 7 है, सफल पेलोड की संख्या 20 है और सफल अंतरिक्ष यानों (उप-कक्षीय प्रक्षेपणों) की संख्या 2 है।

(ग) भारतीय अंतरिक्ष नीति -2023 को लागू करने के लिए, इन-स्पेस ने 3 मई, 2024 को अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण के संबंध में भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 के कार्यान्वयन हेतु मानदंड, दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं (एनजीपी) अधिसूचित की हैं। यह एनजीपी निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को प्राधिकृत करने के लिए एक सुव्यवस्थित नियामक ढांचा प्रदान करता है, जिससे स्टार्ट-अप और अन्य निजी कंपनियों को पारदर्शिता, पूर्वानुमान क्षमता और निश्चितता प्राप्त होती है।

(घ) जी हाँ, सरकार नीतियों और तंत्रों के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच बनाने में सहायता करती है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति द्वारा समर्थित प्राथमिक ढांचा प्रदान करती है। नीतिगत ढांचे में ये बदलाव वैश्विक विस्तार के लिए आर्थिक और परिचालन संबंधी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, इन-स्पेस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप को बढ़ावा देने और सहयोग को सक्षम बनाने के लिए विदेशी उद्योगों और सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर काम करता है। इसने 7 सफल अंतरिक्ष दिवसों की मेज़बानी की है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस (आईएसी), जीएसटीसीईई सिंगापुर और केन्या स्पेस एक्सपो जैसे कार्यक्रमों में एनजीई प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया है, तथा उद्योग राउंड टेबल्स और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीय स्टार्टअप ने 25 से अधिक देशों में व्यावसायिक समझौते किए हैं।

****